

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं को जल संसाधन विभाग के सदस्य में शक्ति एवं कार्यों का हस्तान्तरण करने के संबंध में।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 75, 76, एवं 77 में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को दिये गये अधिकार के आलोक में जल संसाधन विभाग के द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचित में शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु जल संसाधन विभाग से संबंधित निधि, कार्य एवं कर्मियों के संबंध में निम्न रूप से शक्तियों के प्रत्यायोजन का निर्णय लिया गया है:-

I	कर्मियों (Functionaries)	विवरणी	प्रत्यायोजन स्तर	अभि०
	1 कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश, वार्षिक चारित्री अभ्युक्ति लेखन का कार्य	1 प्रशासनिक नियंत्रण	जिला परिषद	विभागीय स्तर से नियुक्त
		2 आकस्मिक अवकाश	जिला परिषद	
		3 वार्षिक चारित्रीक अभ्युक्ति लेखन	जिला परिषद	चारित्री उचित माध्यम से विभाग को प्रेषण।
	2 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश एवं वार्षिक चारित्रीक अभ्युक्ति लेखन का कार्य	1 प्रशासनिक नियंत्रण	जिला परिषद	विभागीय स्तर से नियुक्त
		2 आकस्मिक अवकाश	जिला परिषद	
		3 वार्षिक चारित्रीक अभ्युक्ति लेखन	जिला परिषद	चारित्री उचित माध्यम से विभाग को प्रेषण।
	3 कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल पर प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश एवं वार्षिक चारित्रीक अभ्युक्ति लेखन का कार्य	1 प्रशासनिक नियंत्रण	जिला परिषद	विभागीय स्तर से नियुक्त
		2 आकस्मिक अवकाश	जिला परिषद	
		3 वार्षिक चारित्रीक अभ्युक्ति लेखन	जिला परिषद	चारित्री उचित माध्यम से विभाग को प्रेषण।

II	कार्य (Functions)	प्रत्यायोजन स्तर	अभि०
	1 लघु सिंचाई योजनाओं का चयन/एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण	जिला परिषद/ ग्राम पंचायत	
	2 लघु सिंचाई योजनाओं का रख-रखाव एवं प्रबंधन (योजनावार जल उपभोक्ता समिति का गठन एवं सुदृढिकरण)	जिला परिषद/ ग्राम पंचायत	

III	निधि (fund)	प्रत्यायोजन स्तर	अभि०
i	लघु सिंचाई योजनाओं का रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए प्रति योजना रु 10.00 लाख तक का कार्य।	जिला परिषद	लघु सिंचाई योजनाओं का रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए प्रति योजना रु 10.00 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि किसी जिले में राशि की विमुक्ति में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो विभागीय अनुमोदनोपरांत राज्य स्तरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा संबंधित निदेश दिए जायें ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति बाधित नहीं हो।

hi

- (4) यदि उपर्युक्त कंडिका (3) में वर्णित शक्तियों के प्रत्यायोजन उपरांत यदि किसी जिले में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो विभाग की ऐसी समस्याओं के निराकरण एवं आवश्यक निदेश दिए जाने की सर्वोच्च शक्ति (Overriding Power) अक्षुण्ण रहेगी ताकि उपर्युक्त प्रत्यायोजन से सही परिप्रेक्ष्य (right spirit) में परिणाम हासिल किए जा सकें।
- (5) उपर्युक्त क्रम में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के उपयोग में झारखंड वित्त नियमावली के नियमों एवं समय-समय पर इस परिप्रेक्ष्य में निर्गत पत्र, परिपत्र, संकल्प, आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (6) यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश— आदेश दिया जाता है इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र के जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

L1 21/10
(एस०के०शतपथी)

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य/673/05/.....517...../राँची, दिनांक: 08-07-2013

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी०डी०सहित) झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 100 (सौ) प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

L1 21/10
(एस०के०शतपथी)

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य/673/05/.....517...../राँची, दिनांक: 08-07-2013

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड राँची/महामहिम राज्यपाल जी, झारखंड के प्रधान सचिव (दो प्रतियों में)/ महामहिम राज्यपाल जी के सलाहकार (जल संसाधन) के विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य सचिव, झारखंड सरकार/विकास आयुक्त, झारखंड सरकार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, झारखंड सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड सरकार/अभियंता प्रमुख—I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/प्रबंध निदेशक, झालको राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड/निदेशक भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 1, 2, 3, 6, 7यो० एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

L1 21/10
(एस०के०शतपथी)

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

92
82